वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग – 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या .....

7.	परियोजना /स्कीम का स्थान	:	भूमिगत ओ.एफ.सी. बिछाने हेतु पाटला से केशकाल
(i)	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	:	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	:	कोण्डागॉव
(iii)	वन प्रभाग	:	केशकाल वनमंडल
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टयर)	:	0.830 हेक्टयर
(v)	वन कानूनी स्थिति	:	आरक्षित वन निरंक , संरक्षित वन 0.423 हेक्टयर, ऑरेज एरिया निरंक एवं राजस्व वनभूमि 0.407 कुल 0.830 हेक्टयर
(vi)	हरियाली का घनत्व	:	04. से 0.6

(vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिचांई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ॰आर॰एल॰, एफ॰एफ॰आर॰एल॰–2 मी॰ पर परिगणना और एफ॰ आर॰एल॰ 4 मी॰ भी संलग्न किये जाये।

– भूमिगत ओ.एफ.सी. बिछाना है वृक्ष विदोहन प्रस्तावित नही है।

(viii) भूक्षरण के लिये वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।

– भू–क्षरण के लिए वन क्षेत्र संवेदनशील नहीं हैं।

(ix) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।

– वनो से लगा हुआ एवं वनक्षेत्र से होकर गुजरती है।

(x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाये)

– नहीं हैं।

(xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्रणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।

– नहीं

(xii) क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।

– नहीं

8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग –1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नही तो, जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दे।

– प्रयोक्त एजेंसी द्वारा भाग – 1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता से सहमत हूं।

9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नही) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहें है।

– नही।

10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा।

– आवश्यकता नही है।

(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।

– निरंक

(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर /अवक्रमित वनक्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।

– आवश्यक नही है।

(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढॉचा आदि।

– आवश्यक नही है।

(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।

– निरंक

(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाये)

– आवश्यक नही है।

11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें।)

– आवश्यक नही है।

12. विभाग/जिला प्रोफाईल

(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र – 10270 वर्ग किलो मीटर ।

(ii) जिले का वन क्षेत्र – 4084.077 वर्ग किलो मीटर।

(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र – 19 प्रकरण 577.826

(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरकः

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि।

2296.984

(ख) वनेत्तर भूमि पर।

निरंक

(v) प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :

(क) वन भूमि।

2177.3848 हें.

(ख) वनेत्तर भूमि पर।

—

13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। रिलायंस जियो इन्फोकाम लिमिटेड रायपुर द्वारा 4 जी सेवा दे के सभी जिलो, तहसीलो एवं गांव को दूरसंचार की आधुनिकता सुविधा प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है वर्तमान में उपलब्ध सभी आधुनिक सुविधाए (एस.टी.डी., इंटरनेट, फैक्स ईमेल आदि) का भरोसेमंद मीडिया " आप्टिकल फायबर केबल " है ओ. एफ.सी. बिछायी गई है वह छोटी जगह भी आधुनिकतम दूरसंचार सेवाओ का लाभ ले रही है। इसी प्रोजेक्ट का एक हिसा है पाटला से केशकाल के बीच ओ.एफ.सी. केबल बिछाना ताकि इस मार्ग पर पड़ने वाले सभी सम्बन्धित क्षेत्र देश के हर हिस्सा से जोड़े जायेगे तथा देश के किसी भी हिस्से से सम्बन्धित क्षेत्र में संचार सम्भव हो जायेगा। वस्तुतः सम्पूर्ण भारत इससे लांभावित होगा। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकृति हेत अनुंशसा की जाती है।

दिनांक :– 15/3/17

स्थान :– केशकाल

वनमंडलाधिकारी
केशकाल वनमंडल
मुख्यालय केशकाल